न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

5/11/24

उनवानः— कल्याण सिंह बनाम प्रेमसिंह

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई।

सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम पीलवा के साबिक ख0न0 192/4 आराजी पूर्व मे गैरसायल न0 1 ता 5 के पिता श्योराज पुत्र कुन्दन तथा गैरसायल न0 6 ता 7 के पिता जैसीराम पुत्र कुन्दन के नाम बहिस्सा दर्ज रिकार्ड रही है। खातेदार श्योराज पुत्र कुन्दन ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.7.1985 से वादी को विक्रय कर कब्जा संभला दिया तभी से सायल खरीद के दिन से काबिज एवं दखील है उक्त विक्रय पत्र का दिनांक 13.03.1986 को नामांतकरण न0 390 स्वीकार किया गया जो नामांतकरण से साबित है। उसके बाद भू-प्रबन्ध विभाग के दौरान सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने उक्त नामांतकरण का नवीन रिकार्ड मे अमल नही किया, नाही साबिक रिकार्ड मे उक्त नामांतरकण का नोट लगाया, और नवीन रिकार्ड बनाते समय पूर्व खातेदार श्योराज, जैसीराम पि0 कुन्दर का अंकन कर दिया जो आधार वर्ष 2052 से साबित है। उक्त साबिक न0 192/4 के सेटलमेन्ट विभाग ने नवीन नम्बर कायम नही करके साबिक न0 192 से नवीन ख0न0 352/0.67, को साबिक ख0न0 192/3 से बनाकर अंकित किया है। तथा खातेदारी गैरसायलान के नाम दर्ज कर दी जबकि ख0न0 192/3 की खातेदारी अन्य खातेदारान के नाम दर्ज थी। साबिक ख0न0 192/4 से कोई नवीन नम्बर कायम नही करके साबिक ख0न0 192 तथा 193/3 से बनाकर अंकित किये है जबकि सायल अपनी खरीदशुदा आराजी पर विक्रय के दिन से काबिज है। तथा उसी मुताबिक ख0न0 352, 353 काबिज एवं दखील है। तथा अपने नाम खातेदारी कराने के हकदार होने से सायला का प्राईमाफेसी केस साबित है तथा सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे है इसलिये गैरसायलान को तादावा फैसला दिनांकः— 21.09.2022 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे।

गैरसायलान वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि सायल का प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे ना कभी पूर्व मे ना ही वर्तमान मे कब्जा काश्त है। सेटलमेन्ट विभाग ने नवीन रिकार्ड साबिक रिकार्ड के अनुसार सही बनाया गया है, सायल ने यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र गैरसायलान को हैरान परेशान करने की गरज से पेश किया है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम पीलवा की जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 के खाता न0 2075—78 मे गैरसायलान 1 ता 7 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है पत्रावली मे वर्णित आराजी ख0न0 352, 353 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक ख0न0 192/3, 192 से बनना साबित है। पत्रावली मे शामिल विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1985 अनुसार गैरसायलान के बुजुर्ग जैसीराम व श्योराज द्वारा सायल कल्याण को साबिक ख0न0 192/4 का बेचान किया गया है। पत्रावली मे शामिल नामांतकरण मे भी मुताबिक विक्रय पत्र मे वर्णित आराजी ख0न0 192/4 का ही नामांतकरण न0 390 स्वीकृत हुआ है। सायल ने नवीन ख0न0 352, 353 मे खातेदारी का अनुतोष चाहा है जो मूल दावे मे तय किया जाना है। पत्रावली के अवलोकन व सायलान वकील की बहस से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि सायल को अपूर्तनीय क्षति साबित होने की संभावना है अतः सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष मे साबित होता है, इसलिये वादपत्र के न्यायोचित निस्तारण के लिए सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.09.2024 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। अर्थात गैरसायलान को ग्राम पीलवा की आराजीयात ख0न0 352/0.68 मे रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:51:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner